

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2026—पौष 12, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/10/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई के पत्र क्र. 5/59/Dep/2025/Est-I/80, दिनांक 19-09-2025 के तारतम्य में श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला राजनांदगांव की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई को संयुक्त वस्त्र आयुक्त (Joint Textile Commissioner) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपते हुए श्री भूरे को दिनांक 06-10-2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 दिसम्बर 2025

क्रमांक एफ 7-11/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री मयंक गुर्जर, (भापुसे-2020), सेनानी, 15वीं वाहिनी, छसबल, धनोरा जिला बीजापुर, छ.ग. को दिनांक 15-12-2025 से 26-12-2025 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 13, 14, 27, 28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुर्जर, आगामी आदेश तक, सेनानी, 15वीं वाहिनी, छसबल, धनोरा जिला बीजापुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री गुर्जर को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक गुर्जर अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री मयंक गुर्जर, (भापुसे-2020), सेनानी 15वीं वाहिनी, छसबल, धनोरा जिला बीजापुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जितेन्द्र कुमार यादव (भापुसे-2018), पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश तिग्गा, अवर सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/513/2025-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं आबंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. जगदीशन (2005)	मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना/उत्पादन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2.	श्री विवेकानंद झा (2009)	वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग. अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर तथा अति. प्रभार वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित/समन्वय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग. अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय (2012)	वन उप संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	वन उप संरक्षक (सतर्कता) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4.	श्री बी. एस. सरोटे (2019)	वन उप संरक्षक, (सतर्कता), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	वन उप संरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 दिसम्बर 2025

File No. LAND-4401/36/2025-MRD.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-2/2023/12 दिनांक 04-10-2023 द्वारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम-67 के तहत खनिज मैग्नीज एवं सह खनिजों के पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अंतर्गत नीलकंठपुर ब्लॉक के कुल रकबा 218.00 कि.मी. क्षेत्र को 02 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया गया है जिसकी अवधि दिनांक 03-10-2025 को समाप्त हो गई है। उक्त आरक्षित अवधि को अतिरिक्त 02 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 14-08-2025 द्वारा किये गये अनुरोध पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23-09-2025 द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

2. अतः राज्य शासन एतद्वारा खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम-67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खनिज मैग्नीज एवं सह खनिजों के पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत नीलकंठपुर ब्लॉक के निम्नलिखित कुल रकबा 218.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को 02 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षित करता है :-

Block	Village	Boundary Point	Latitude	Longitude
Nilkanthpur Block(Toposheet No. 64M/1, 64M/5, 64M/9)	Nilkanthpur, Vishalpur, Belkurta, Dindo & Salwahi District Balrampur	BP-1	23°57'43.37''N	83°14'01.46''E
		BP-2	23°54'56.53''N	83°29'19.21''E
		BP-3	23°50'30.89''N	83°35'57.02''E
		BP-4	23°48'45.11''N	83°34'29.72''E
		BP-5	23°51'52.82''N	83°27'53.74''E
		BP-6	23°54'41.16''N	83°13'28.70''E

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्रमांक 3663/2478/21-ब/छ.ग./2025.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2026 में अधिवार्षिकी आयु, 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की, एतद्वारा, स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
01	श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय	15-03-1966	31-03-2026
02	श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे	25-10-1966	31-10-2026
03	श्री मंसूर अहमद	07-12-1966	31-12-2026
04	श्री देवेन्द्र नाथ भगत	01-01-1967	31-12-2026
05	श्री ऋषि कुमार बर्मन	01-07-1966	30-06-2026
06	श्री विनोद कुमार देवांगन	11-10-1966	31-10-2026
07	श्रीमती प्रिसिल्ला पाल होरो	01-07-1966	30-06-2026
08	कु. सुनीता साहू	10-08-1966	31-08-2026
09	श्री आनंद राम ढिडही	25-03-1966	31-03-2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक/594/202511310100006/अ-82/2025-2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर प.ह.नं. 08	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायगढ़	कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक/9046/भू-अर्जन/2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	राजपुर	अमड़ीपारा प.ह.नं. 30	7.769	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग जलाशय निर्माण संभाग बलरामपुर (छ.ग.)	गागर व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर 24, कयाबांदा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/5804.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/एकल/भा.अधि./2024-25/2037-2038 रायपुर दिनांक 05-07-2024 द्वारा श्री लाल सिंह आमो, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) मनेन्द्रगढ़, को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़ के भारसाधक अधिकारी श्री लाल सिंह आमो, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) अपने मूल पदस्थापना स्थल बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया वापस हो जाने से उनके स्थान पर श्री इन्द्रासन सिंह पैकरा, उप संचालक कृषि, मनेन्द्रगढ़ को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री लाल सिंह आमो, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, (छ.ग.) के स्थान पर श्री इन्द्रासन सिंह पैकरा, उप संचालक कृषि मनेन्द्रगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/एकल/भा.अधि./2023-24/6054-6055 दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री बी.आर. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, राजिम, जिला गरियाबंद को कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/बी-4/28/भा.अधि./2025-26/1961 रायपुर दिनांक 06-11-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी श्री बी. आर. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, राजिम, जिला गरियाबंद के अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर दिनांक 31-10-2025 को सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए श्री के. आर. वर्मा, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बी. आर. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, राजिम, जिला गरियाबंद के स्थान पर श्री के. आर. वर्मा, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक/96/भू.अ./वर्कलोड/अधिसूचना/2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959, क्रमांक-20, सन् 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2022) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं प्रतिष्ठा ममगाई (भा.प्र.से.) कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (बंदोबस्त त्रुटि ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करती हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	क्र.	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र/ग्राम	प.ह.नं.	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नारायणपुर	छोटेडोंगर	धौड़ाई	1	ब्रेहबेड़ा	04	—

प्रतिष्ठा ममगाई
कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर (नजूल शाखा), जिला-कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 14 नवम्बर 2025

रा.प्र.क्र./ई.को.नं./202503081100031/अ-20(1)/वर्ष 2024-25.—राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4-1 की कंडिका 1 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक/ई. कोर्ड नं./202503081100031/अ-20(1)/वर्ष 2024-25 तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की परिपत्र क्रमांक एफ-4-43/सात-1/2013/नवा रायपुर दिनांक 12-01-2017 के निर्देश बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार नगरीय क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित ग्राम की शासकीय भूमि को नजूल भूमि घोषित किये जाने हेतु अधिकार जिले के कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं गोपाल वर्मा, कलेक्टर कबीरधाम एतद्वारा जिला कबीरधाम के नगर पंचायत पाण्डातराई के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/पटवारी हल्का सर्वेक्षण संख्याक सूची में दर्शित है, को नजूल/नजूल सरकार भूमि घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से 15 दिवस के अवसान के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रा./तहसील/नगर पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सूची

क्र.	नगर पंचायत का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वर्तमान पट. हल्का क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे.में	वर्तमान अभिलेख के अनुसार भूमि का मद	प्रस्तावित मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	616	0.567	आबादी	नजूल	—
2	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	623	0.053	आबादी	नजूल	—
3	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	704	1.862	आबादी	नजूल	—
4	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	705/2	0.922	आबादी	नजूल	—
5	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	850	3.294	आबादी	नजूल	—
6	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	859	0.725	आबादी	नजूल	—
7	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	864	0.040	आबादी	नजूल	—
8	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	869	8.777	आबादी	नजूल	—
9	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	917	0.024	आबादी	नजूल	—
10	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	920	0.105	आबादी	नजूल	—
11	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1069	0.882	आबादी	नजूल	—

12	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	51	0.279	घांस मद	नजूल	—
13	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	52	0.729	घांस मद	नजूल	—
14	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	110	0.397	घांस मद	नजूल	—
15	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	173/2	0.057	घांस मद	नजूल	—
16	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	191/1	0.809	घांस मद	नजूल	—
17	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	191/3	0.065	घांस मद	नजूल	—
18	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	199	0.129	घांस मद	नजूल	—
19	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	200	0.567	घांस मद	नजूल	—
20	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	203	0.154	घांस मद	नजूल	—
21	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	205/1 205/2	2.116 1-000	घांस मद	नजूल	—
22	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	208/1	0.717	घांस मद	नजूल	—
23	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	212/1	3.852	घांस मद	नजूल	—
24	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	212/3	0.405	घांस मद	नजूल	—
25	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	232	0.251	घांस मद	नजूल	—
26	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	233	0.101	घांस मद	नजूल	—
27	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	308	0.279	घांस मद	नजूल	—
28	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	310	0.660	घांस मद	नजूल	—
29	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	374/1	0.032	घांस मद	नजूल	—
30	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	456	0-320	घांस मद	नजूल	—
31	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	458	0.247	घांस मद	नजूल	—
32	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	530	0.121	घांस मद	नजूल	—
33	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	531	0.065	घांस मद	नजूल	—
34	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	572/1	2.715	घांस मद	नजूल	—
35	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	572/2 शा न 572/3	0.688	घांस मद	नजूल	—
36	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	572/4	0.809	घांस मद	नजूल	—
37	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	595	0.259	घांस मद	नजूल	—
38	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	599	0.081	घांस मद	नजूल	—

39	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	608	0.162	घांस मद	नजूल	—
40	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	609	0.049	घांस मद	नजूल	—
41	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	638	0.648	घांस मद	नजूल	—
42	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	705	2.093	घांस मद	नजूल	—
43	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	824	0.150	घांस मद	नजूल	—
44	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	825/1	1.004	घांस मद	नजूल	—
45	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	825/2	0.303	घांस मद	नजूल	—
46	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	836/1	2.157	घांस मद	नजूल	—
47	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	836/2	1.619	घांस मद	नजूल	—
48	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	839	0.421	घांस मद	नजूल	—
49	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	841	0.081	घांस मद	नजूल	—
50	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	854	0.154	घांस मद	नजूल	—
51	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	856	0.206	घांस मद	नजूल	—
52	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	858	0.186	घांस मद	नजूल	—
53	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	860	0.574	घांस मद	नजूल	—
54	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	861	0.275	घांस मद	नजूल	—
55	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	862	0.073	घांस मद	नजूल	—
56	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	882/1	0.405	घांस मद	नजूल	—
57	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	882/2/ क	0.251	घांस मद	नजूल	—
58	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	882/2/ ख	1.214	घांस मद	नजूल	—
59	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	882/3	0.405	घांस मद	नजूल	—
60	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	884	0.061	घांस मद	नजूल	—
61	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	900	0.142	घांस मद	नजूल	—
62	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	916/1	0.534	घांस मद	नजूल	—

63	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	916/2/ क	0.364	घांस मद	नजूल	—
64	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	916/2/ ख	0.040	घांस मद	नजूल	—
65	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	926	0.142	घांस मद	नजूल	—
66	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	929	0.397	घांस मद	नजूल	—
67	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1019	0.150	घांस मद	नजूल	—
68	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	15	1.092	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
69	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	39	0.376	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
70	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	167	0.587	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
71	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	189	0.821	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
72	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	193	0.146	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
73	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	218	0.619	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
74	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	221	0.825	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
75	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	234	0.688	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
76	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	312	1.821	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
77	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	313	0.247	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
78	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	362	1.141	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
79	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	375	0.930	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
80	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	455	1.206	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
81	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	538	0.283	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
82	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	617	0.073	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
83	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	676	0.886	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
84	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	800	1.726	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
85	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	892	0.061	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
86	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	893	0.368	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
87	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	903/2	0.020	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
88	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	969	0.295	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
89	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1008	1.108	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
90	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1059/ 1	1.044	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—
91	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1059/ 2	0.405	सडक रास्ता	सडक रास्ता	—

[illegible]

123	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	986	0.162	पानी के निचे	पानी के निचे	—
124	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1018/2 शा. न 1020/1	0.150	पानी के निचे	पानी के निचे	—
125	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1043	0.417	पानी के निचे	पानी के निचे	—
126	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1068	0.445	पानी के निचे	पानी के निचे	—
127	पाण्डातराई	पण्डरिया	पाण्डातराई	42	1242	0.138	पानी के निचे	पानी के निचे	—

गोपाल वर्मा
कलेक्टर

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th August 2025

No. 17/L.G./2025/II-2-31/2017.—Shri Pankaj Kumar Sinha, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 17 days from 03-12-2024 to 19-12-2024 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 02 days on 24-05-2025 & 25-05-2025 with suffixing summer vacation.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th August 2025

No. 18/L.G./2025/II-2-18/2019.—Shri Harish Kumar Awasthi, Judge, Family Court, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 06 days from 25-11-2024 to 30-11-2024 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 23-11-2024 till 30-11-2024, earned leave for 04 days from 01-12-2024 to 04-12-2024 in continuation of earned leave from 25-11-2024 to 30-11-2024, earned leave for 07 days from 26-12-2024 to 01-01-2025 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 26-12-2024 till before the Court hours of 02-01-2025, earned leave for 05 days from 03-02-2025 to 07-02-2025 along with permission to remain out of headquarters after office hours of 01-02-2025 till before office hour of 10-02-2025, earned leave for 04 days from 26-03-2025 to 29-03-2025 along with permission to remain out of headquarters 26-03-2025 till before the Court hours of 01-04-2025 and earned leave for 05 days from 14-07-2025 to 18-07-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 11-07-2025 till before the Court hours of 21-07-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Awasthi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 19/L.G./2025/II-3-25/2013.—Shri Rajendra Kumar Verma, Additional Principal Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 01 days on 28-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2024 till 29-12-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 20/L.G./2025/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, Principal District & Sessions Judge, Rajnandgaon, is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2024 to 31-12-2024 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from the evening of 24-12-2024 till before the Court hours of 01-01-2025.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sawant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 21/L.G./2025/II-3-4/2014.—Shri Hemant Saraf, Principal District & Sessions Judge, Balrampur (Ramanujanj) is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-12-2024 to 20-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the National Lok Adalat on 14-12-2024 till before the Court hours of 23-12-2024, earned leave for 01 day on 31-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2024 till before the office hours of 01-01-2025 and eanred leave for 03 days from 26-06-2025 to 28-06-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-05-2025 till 28-05-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)